(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 18/2019-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

सा.का.नि.........(अ) – केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), धारा 11 की उप धारा (1), और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2019-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 07 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 189 (अ), दिनांक 07 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप-खड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुबंध में, क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“2क	2202 10 10	वातित जल”.

2. यह अधिसूचना 01 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी ।

(फाइल संख्या 354/131/2019-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: -प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2019-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 07 मार्च, 2019 को सा.का.नि. 189 (अ), दिनांक 07 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 9/2019-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 29 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 268 (अ), दिनांक 29 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।